

Abolition of Sales Tax

290. SHRI R.L.P. VERMA :
SHRI S.S. SOMANI :

Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE be pleased to State :

(a) whether Government are aware the large scale demonstrations, representations and agitations from the trading community throughout the country for the abolition of Sales Tax ;

(b) whether Chief Minister of States also met to resolve this issue; and

(c) if so, whether a final decision has since been taken in this behalf ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) :

(a) Number of representations have been received by the Central Government suggesting abolition of sales tax and its replacement by excise duty. Government have seen reports of traders speaking to ventilate their point of view through demonstrations in certain states.

(b) and (c). The question of extending the scheme of replacement of sales tax by additional excise duties on some essential commodities like cement, medicine, vanaspati and petroleum products, as recommended by the Indirect Taxation Enquiry Committee, was last considered at a meeting of Chief Ministers of States held on 19th and 20th May, 1979. The proposal was objected to by a large majority of the States. As levy of tax on sales or purchases of goods taking place within a State is a State subject of taxation under the Constitution, it cannot be replaced by excise duty without the concurrence of the State Governments.

वेत में बैंकों को नई शाखाएं खोलना

91. श्री राज लखर : क्या जब प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वेत में बैंकों की नई शाखाएं खोलने के लिये इस वर्ष और अगले वर्ष क्या लक्ष्य रखा गया है;

(ख) ऐसी शाखाएं खोलने के लिये राज्यवार क्या लक्ष्य रखा गया है और मध्य प्रदेश में इन शाखाओं की खोलने का जिलेवार क्या लक्ष्य रखा गया है; और

(ग) इस बारे में क्षेत्रों के चुनाव के लिये अपनाये गये मुख्य मापदण्ड क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुक्तिशंकर उन्नाव) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक 1979-81 के तीन वर्षों की अवधि के लिये शाखा विस्तार योजना बना रहा है। इन 3 वर्षों के दौरान शाखा विस्तार कार्यक्रम में कम बैंक वाले जिलों के विना बैंक वाले ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण स्थानों में बैंकिंग सुविधाओं की व्यवस्था करने पर जोर दिया जायेगा। इस अवधि में खोली जाने वाली शाखाओं की कुल अपेक्षित संख्या में से लगभग 6500 शाखाएं निर्धारित कमी/कम बैंक वाले जिलों में खोली जायेंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन जिलों में बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धि बढ़ कर प्रति शाखा 20,000 व्यक्तियों के राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच जाए। इन अपेक्षित शाखाओं का राज्यवार विवरण I में दे दिया गया है। कमी वाले जिलों के क्षेत्रों का अग्रिम रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों और संबंधित बैंकों के परामर्श से किया जाता है। जहां तक मध्य प्रदेश का संबंध है रिजर्व बैंक में अनुमान लगाया है कि तीन वर्षों की अवधि के दौरान 730 शाखाओं की आवश्यकता होगी ताकि कमी वाले जिलों की प्रति शाखा 20,000 व्यक्तियों के राष्ट्रीय स्तर तक लाया जा सके। राज्य सरकार के परामर्श से शाखा खोलने के लिये 571 क्षेत्रों को चुना जा चुका है और 290 क्षेत्रों के लिये साइसेंस भी जारी कर दिये गये हैं। जिलेवार विवरण II में दे दिया गया है।

विवरण—I

कमी वाले जिलों और अगले तीन वर्षों में इन जिलों में खोली जाने वाली अपेक्षित प्रतिरिक्त बैंक शाखाओं का राज्यवार व्यौर

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिलों की कुल संख्या	जिलों की संख्या जिनमें प्रति बैंक कार्यालय जन-संख्या प्रतिव्यक्ति ग्रामीण/अर्धग्रामीण क्षेत्रों में 20,000 से अधिक है	काल्प 4 के जिलों में खोली जाने वाली अपेक्षित प्रतिरिक्त शाखाओं की संख्या
1	2	3	4	5
1	मध्य प्रदेश	21	14	202
2	अण्डम	10	9	287